राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.1(32)कार्मिक/क–3/2007 जयपुर, दिनांक 20 AUG 2007

परिपत्र

विषयः– सेवानिवृत्त एवं शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले राजसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के संदर्भ में दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्ति के सन्निकट राजसेवकों के संदर्भ में अनुशासनिक जांच कार्यवाही प्रारम्भ/सम्पादित करने के दिशा–निर्देश पूर्ववर्ती परिपत्र दिनांक 30.4.99, 3.3.2001, 30.9.2002 एवं 31.8.2006 द्वारा प्रसारित कर रखे हैं।

(संदर्भ हेतु कार्मिक विभाग की वेबसाइट http://dop.rajasthan.gov.in देखें)

राज्य सरकार के ध्यान में आया हैं कि उक्त दिशा–निर्देशों के बावजूद भी अनेक वर्ष पूर्व की घटना से संबंधित प्रकरणों में भी अनुशासनिक जांच कार्यवाही के प्रस्ताव सेवानिवृत्ति के दिन अथवा सेवानिवृत्ति के कुछ दिवस पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित किये जा रहे हैं जो उचित नहीं है। अब से पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों में स्पष्ट किया जा चुका है कि इस प्रकार के प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये और जांच कार्यवाही आरम्भ किये जाने के प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कर आरोप पत्र प्रसारित हो जाने चाहिये।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त राजसेवकों के संदर्भ में अनुशासनिक जांच कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज. सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना पूर्व निर्धारित शर्त है, यह अनुमोदन उन्हीं प्रकरणों की विषयवस्तु के संदर्भ में प्राप्त किया जाना है जिनमें राजसेवक का कृत्यः–

(1) गम्भीर दुराचरण,
(2) घोर लापरवाही,
(3) आर्थिक हानि, से संबंधित हो और
(4) घटना 4 वर्ष की अवधि में ही हों।

अतः महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त बिन्दूओं का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे अन्यथा विषयवस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाय।

यह देखने में आया है कि विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग इस प्रकार के प्रस्तावित अनुशासनिक प्रकरणों को लम्बे समय तक असाधारण विलम्ब सहित लम्बित रखते हैं और राजसेवक की सेवानिवृत्ति के दिवस के आस–पास उस पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु प्रयासरत रहते हैं जो पूरी तरह से अनुचित स्थिति को प्रकट करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विभागीय स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों की मॉनिटरिंग की प्रणाली प्रभावशील नहीं है जो अति आवश्यक है।

प्रत्येक राजसेवक की सेवानिवृत्ति में जब 2 वर्ष शेष रह जावें तब से ही राजसेवक के सेवा अभिलेख का उसके सभी पदस्थापनों के संदर्भ में परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर

लिया जावे कि क्या उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रकरण प्रस्तावित स्थिति में लम्बित तो नहीं है? इस कार्यवाही को अधिकतम 6 माह की अवधि में पूरी करके आरोप पत्र प्रसारित करवाने का उत्तरदायित्व राजसेवक के नियुक्ति प्राधिकारी का होगा।

प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्ष के पास ऑडिट रिपोर्ट, प्राथमिक जांच प्रतिवेदन इत्यादि के आधार पर प्रस्तावित अनुशासनिक जांच कार्यवाही के प्रस्ताव विगत अनेक वर्षों से लम्बित है, उनके संदर्भ में सूचनाएं निम्न प्रपत्र में दिनांक 31.08.07 तक उपलब्ध कराई जाएः–

विवरण	लम्बित प्रकरणों की संख्या
दिनांक 31.08.2005 तक के लम्बित प्रकरण	
दिनांक 1.1.2006 से 31.07.07 तक के लम्बित प्रकरण	

इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि सभी प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्षों के कार्यालय में इस प्रकार के प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाय। अतः सभी विभागों एवं कार्यालयों में मॉनिटरिंग की प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे एवं उसकी भी सूचना उपलब्ध करावें।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें एवं सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्ति के सन्निकट राजसेवकों के संदर्भ में प्रस्तावित अनुशासनिक जांच कार्यवाही के प्रकरणों का उपरोक्त निर्देशों के अंतर्गत शीघ्रता से निस्तारण करवायें।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (मय जिला कलक्टर्स)
4. उप सचिवगण, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग।
5. सहायक विधि परामर्शी/मुख्य विधि सहायक, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग।
6. प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।

उप विधि परामर्शी